

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-38/2020-21

प्रीति कुमारी वगै० प्रथम पक्ष

बनाम्

झारखण्ड सरकार एवं अन्य द्वितीय पक्ष

आदेश


आवेदिका प्रीति कुमारी, पति- विनय कुमार, साकिन- करनोडीह, थाना- सरिया, जिला- गिरिडीह द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सरिया द्वारा दाखिल-खारिज वाद संख्या 433 R27/2018-19 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील वाद की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। जिसका जमीन संबंधी विवरण निम्नवत् है :-

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
मन्दरामों	0045	46	2198	7.5 डी०


अभिलेख में संलग्न अंचल कार्यालय सरिया के दाखिल खारिज वाद संख्या 433 R27/2018-19 में दिनांक 27.06.2019 को पारित आदेश में उल्लेख किया गया है कि हल्का कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर ऑनलाईन जमाबंदी में प्लॉट दर्ज नहीं रहने के कारण दाखिल खारिज वाद को अस्वीकृत किया गया है। आवेदिका द्वारा न्यायालय में अपील वाद दायर कर उक्त भूमि से संबंधित ऑनलाईन पंजी II की प्रति उपलब्ध कराया गया है।

तदनुसार अंचल अधिकारी, सरिया द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या 433 R27/2018-19 में दिनांक 27.06.2019 को पारित आदेश से सहमत नहीं होते हुए पुनः नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी सरिया को remand किया जाता है। आवेदक पुनः ऑनलाईन आवेदन कर सभी document को upload करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
बगोदर-सरिया (गिरिडीह)